UKPCB

LiFE
Lifestyle For Environment

HEAD OFFICE
Uttarakhand Pollution Control Board
"Gaura Devi Paryavaran Bhawan"
46B, IT Park, Sahastradhara Road, Dehra Dun
E-mail : msukpcb@yahoo.com, Phone No.-0135-2607092

UKPCB/HO/NOC-7923/2024/ 268

Dated : 31 **.05.2024**

Speed Post

To,

The Chairman,
State Environment Impact Assessment Authority,
C/o. Directorate of Environment & Climate Change,
Gaura Devi Paryavaran Bhawan,
46B, III Floor, IT Park, Sahastradhara Road,
Dehradun (Uttarakhand),

Sub:- Minutes of Public Hearing of Sh. Ramesh Chandra for Kholiyagaon Soapstone Mining Project (Area-4.502 Hect.) at Vill. Kholiyagaon, Tehsil & Distt. Bageshwar.

Sir,

This is to inform you that the Uttarakhand Pollution Control Board has conducted the Public Hearing of Sh. Ramesh Chandra for Kholiyagaon Soapstone Mining Project (Area-4.502 Hect.) at Vill. Kholiyagaon, Tehsil & Distt. Bageshwar. The copy of the minutes of Public Hearing alongwith video recording, photography of entire Public Hearing and copy of attendence sheet are enclosed herewith for your kind perusal, please.

Enclosed :- as above.

Yours faithfully,

(Dr. Parag Madhukar Dhakate),
Member Secretary

Letter No.:UKPCB/HO/NOC-7923/2024/ **Dated as Above.**

Copy to :-

1. **District Magistrate, Bageshwar** for kind information and with request to display the minutes of public hearing at your office for general information, please.
2. **Regional Officer, UKPCB, Haldwani** with the direction to display the minutes of public hearing at your office for general information, please.
3. **Sh. Ramesh Chandra, S/o Sh. Shyam Dutt, Vill. Kholiyagaon, Tehsil & Distt. Bageshwar,** copy of minutes of public hearing alongwith photographs, videos & attendance sheet for kind information and with request to display the minutes of public hearing to the office of the panchayat/Urban Local Bodies, whose jurisdiction the project is located for general information, please.
4. **Information Officer, EIACP, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun** with request to upload of minutes of public hearing to Board's website on priority basis.

Member Secretary

श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री श्याम दत्त ग्राम–खोलियागांव, तहसील व जिला–बागेश्वर, उत्तराखण्ड़ द्वारा मै0 खोलियागांव सोप स्टोन माईनिंग प्रोजेक्ट के पर्यावरण स्वीकृति हेतु दिनांक 29.02.2024 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री श्याम दत्त ग्राम–खोलियागांव, तहसील व जिला–बागेश्वर, उत्तराखण्ड़, (4.502 हेक्टेयर क्षेत्रफल) में खनन हेतु प्रस्तावित पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये लोक सुनवाई का प्रस्ताव उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 यथासंशोधित के अन्तर्गत आच्छादित है। उक्त पर्यावरणीय स्वीकृति के प्रस्ताव के कम में राज्य बोर्ड द्वारा जन सुनवाई की सूचना दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान (उत्तराखण्ड संस्करण) तथा हिन्दुस्तान टाइम्स (दिल्ली संस्करण) के दि0 26.01.2024 के अंक में प्रकाशित करायी गयी थी। उपरोक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से संबंधित परियोजना प्रस्ताव द्वारा उपलब्ध कराये गये परियोजना से संबंधित ई0आई0ए रिपोर्ट व सारांश की प्रतिया जनसामान्य/इच्छुक संस्था के अवलोकनार्थ, जिलाधिकारी कार्यालय बागेश्वर, जिला पंचायत कार्यालय बागेश्वर, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र बागेश्वर, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बागेश्वर तथा क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून को प्राप्त करा दी गयी थी। तद्कम में जिलाधिकारी महोदया बागेश्वर की अध्यक्षता में दिं0 29.02.2024 को निकट परियोजना स्थल में लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है। लोक सुनवाई में उपस्थित संलग्नानुसार है।

लोक सुनवाई में सर्वप्रथम उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी के डॉ0 डी0के0 जोशी, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा जनसुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावो तथा लोक सुनवाई के पैनल में नामित अध्यक्ष जिलाधिकारी बागेश्वर तथा अन्य उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया तथा परियोजना के संबंध में अवगत कराते हुए अध्यक्ष महोदया से लोक सुनवाई प्रारम्भ करने की अनुमति चाही गयी।

जिलाधिकारी बागेश्वर की अनुमति के उपरान्त लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। तद्कम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार मैसर्स काग्नीजेन्स रिसर्च इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के श्री संदीप चौधरी द्वारा इकाई का विवरण प्रस्तुत किया गया। विवरण प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रस्तावित परियोजना एक सोप स्टोन खनन परियोजना है, परियोजना का खनन स्थल ग्राम–खोलियागांव, तहसील व जिला–बागेश्वर में स्थित है। खनन कार्य ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइड विधि द्वारा किया जायेगा। परियोजना स्थल तथा परिक्षेत्र में परिवेशीय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण, भूगर्भीय जल मृदा तथा ध्वनि स्तर का अनुश्रवण कर नमूने एकत्रण किये गये है। परिवेशीय वायु गुणवत्ता विश्लेषण आख्यायें परिवेशीय वायु गुणवत्ता राष्टीय वायु गुणवत्ता मानकों के भीतर है तथा भू–जल नमूने की गुणवत्ता भारतीय मानक IS:10500 द्वारा निर्धारित सीमा के अनुरूप है। ध्वनि का स्तर दिन और रात के समय हेतु निर्धारित सीमा में है। खनन क्षेत्र में कोई विस्थापन शामिल नहीं है, क्षेत्र में खनन गतिविधि का प्रभाव क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक वातावरण पर सकारात्मक है। प्रस्तावित खदान स्थानीय आवादी को रोजगार प्रदान करेगी, पर्यावरण प्रबंधन योजना के अन्तर्गत विभिन्न मदों यथा ढुलाई सड़क की मरम्मत और रखरखाव, धूल

नियंत्रण, पानी का छिड़काव, जल/वायु, ध्वनि स्तर अनुश्रवण, वृक्षारोपण तथा देखभाल व सीईआर मदों में धन राशि आवंटन के संबंध में अवगत कराया गया। तद्क्रम में जिलाधिकारी महोदया द्वारा खनन परियोजना के सारांश की प्रति में पर्यावरण प्रबंधन योजना में उल्लेखित विविध बजट के बारे में जानना चाहा। उपरोक्त संबंध में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि विविध बजट के अन्तर्गत गांव के विभिन्न विकास कार्यो को रखा गया है तथा बताया गया कि प्रस्तावित खनन कार्य निर्धारित नियमों एवं शर्तो के अनुसार किया जायेगा। पॉच वर्षो के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना की लागत कॉपरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व सी0ई0आर0 और सी0एस0आर0 के लिए बजट (प्रति वर्ष) कार्यक्रम के तहत प्रस्तावित विभिन्न गतिविधियों के लिए निधियों के वर्षवार आवंटन किया गया है।

पर्यावरण सलाहकार द्वारा आगे बताया गया कि खनन गतिविधियों के शुरू होने के बाद नागरिक सुविधाओं पर काफी प्रभाव पडेगा, खंदान में प्राथमिक चिकित्सा सुविधा के रूप में चिकित्सां सुविधा शिविर उपलब्ध करायी जायेगी। यह चिकित्सा सुविधायें आपात स्थिति में आस–पास के स्थानीय लोगों को भी उपलब्ध रहेगी। रोजगार का सृजन और जीवन स्तर में सुधार होगा। खनन गतिविधियों के दौरान पर्यावरण पर किसी भी महत्तवपूर्ण नकारात्मक प्रभाव किये बिना आगे बढ़ सकती है।

प्रस्तुतीकरण के उपरान्त जिलाधिकारी महोदया द्वारा जन सुनवाई में उपस्थित लोगों से जानना चाहा कि कितने लोगों को प्रस्तावित सोप स्टोन माईन के संबंध में अनापत्तियॉ है तथा कितने लोग इस प्रस्तावित परियोजना के स्थापना/संचालन से सहमत है। तद्क्रम में परियोजना के पर्यावरण सलाहकार द्वारा लोगों से अनुरोध किया कि सहमति तथा असहमति के संबंध में विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया है। जन सुनवाई में उपस्थित लोगों की सुझाव/आपत्तियां निम्नवत हैः–

1. श्री गोविन्द सिंह ग्राम–खोलियागांव, तहसील व जिला–बागेश्वरः–श्री गोविन्द सिंह द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अन्य खनन कार्य में लगे ट्रकों/डम्परों के ट्रासपोर्ट से उडने वाली धूल से परेशानी होती है। धूल नियंत्रण की व्यवस्था का प्राविधान प्रस्तावित खनन परियोजना में किया जाना चाहियें।

2. श्री लाल सिंह धपोला ग्राम–खोलियागांव, तहसील व जिला–बागेश्वरः–श्री धपोला द्वारा कहा गया कि प्रस्तावित खनन परियोजना से हम सहमत है। गांव के बीच स्थापित रोड से खनन कारोबारियों द्वारा ट्रासपोर्ट का कार्य किया जाता है तथा पास में ही गांव का राजकीय विद्यालय स्थापित है। ट्रकों/डम्परों का संचालन नियत समयानुसार किया जाना चाहियें तथा इनके नियंत्रण हेतु व्यवस्था भी की जानी चाहियें।

3. श्री हेमन्त सिंह धपोला ग्राम–चौरा, तहसील व जिला–बागेश्वर :–श्री हेमन्त द्वारा अवगत कराया गया कि ट्रकों/डम्परों के अनियमित संचालन से घरों के अन्दर रहना मुश्किल हो गया है तथा सड़क डामरीकरण का कार्य किया जाना चाहियें। प्रस्तावित खनन परियोजना से स्थानीय ग्राम

वासियों को लाभ होना चाहियें। तद्क्रम में जिलाधिकारी महोदया द्वारा सुझाव दिया गया कि सडक के किनारे नालियों के निर्माण की व्यवस्था का प्राविधान सी0एस0आर0 मद से किया जाना चाहिये।

4. श्रीमती पार्वती धपोला ग्राम–चौरा, तहसील व जिला–बागेश्वरः–श्रीमती पार्वती धपोला द्वारा कहा गया कि सड़क के किनारे नालियों का निर्माण न होने के कारण सड़क का पानी व धूल घरों के अन्दर आता है। सड़क डामरीकरण का कार्य किया जाना चाहियें।

5. श्री मनोज उपाध्याय परियोजना प्रस्तावक–श्री मनोज द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी लोगों का स्वागत करते हुये कहा गया कि धूल नियंत्रण हेतु पानी के टैंकरों की व्यवस्था का प्राधिान प्रस्तावित खनन योजना में किया गया है। खनन कार्य खनन योजना के अनुसार तथा ग्रामवासियों की सहमति से हीं किया जायेगा तथा बतायां गया कि खनन कार्य प्रारम्भ होने पर क्षेत्र के विकास एवं रोजगार के क्षेत्र में कार्य किया जायेगा। प्रस्तावित खनन परियोजना से जो भी आपत्तियॉ होगी उन्हें दूर किया जायेगा।

सुझाव/आपत्ति व टीका टिप्पणी लिखित व मौखिक रूप से प्राप्त न होने पर उपस्थित जन समुदाय का धन्यवाद व्यक्त करते हुये लोक सुनवाई का समापन किया गया।

उक्त जन सुनवाई की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी की गयी है तथा उपस्थित जन समुदाय की उपस्थिति, उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज की गयी है।

(डॉ0 डी0के0 जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0नि0बोर्ड हल्द्वानी।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी
बागेश्वर।